छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2008

(माघ - 29, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. राष्ट्रगीत

सदन में **वन्दे मातरम्** की धुन बजाई गई ।

2. शपथ/प्रतिज्ञान

श्री सेवकराम नेताम, सदस्य (अनुपस्थित)

3. महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार महामहिम राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई ।

महामहिम राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ।

(राष्ट्रगान **जन गण मन** की धुन बजाई गई।)

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया।

(राष्ट्रगान **जन गण मन** की धुन बजाई गई।)

महामहिम राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में दिये गये अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी गई ।

4. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि "महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

श्री विजय अग्रवाल, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनाँक 21 एवं 22 फरवरी, 2008 की तिथियाँ निर्धारित करने तथा उक्त प्रस्ताव पर दिनाँक 19 फरवरी, 2008 के अपराह्न 3.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में संशोधन प्राप्त करने की घोषणा की गई ।

5. सभापति तालिका

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

1. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
2. श्री ननकीराम कंवर
3. श्री सत्यनारायण शर्मा
4. श्री अघन सिंह ठाकुर
5. श्री धर्मजीत सिंह

6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक रविवार, दिनांक 17 फरवरी, 2008 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

वित्तीय कार्य	निर्धारित समय
1. वर्ष 2007-2008 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन विचार एवं पारण ।	3.00 घंटे
2. वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुमान मांगों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय का आवंटन किया गया :-	

01.	मुख्यमंत्री से संबंधित मांगों के लिए	04 घंटे
02.	राजस्व मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	04 घंटे
03.	वाणिज्यिक कर मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	03 घंटे
04.	पंचायत मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	04 घंटे
05.	गृह मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	03 घंटे
06.	आदिम जाति कल्याण मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	03 घंटे.
07.	कृषि मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	02 घंटे
08.	जल संसाधन मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	03 घंटे
09.	राज्यमंत्री, लोक निर्माण से संबंधित मांगों के लिए	03 घंटे
10.	राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा से संबंधित मांगों के लिए	02 घंटे
11.	राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांगों के लिए	1 घंटा 30 मिनट
12.	राज्यमंत्री, महिला बाल विकास से संबंधित मांगों के लिए	1 घंटा 30 मिनट
13.	राज्यमंत्री, खाद्य से संबंधित मांगों के लिए	2 घंटे 30 मिनट

	विधि विषयक कार्य	निर्धारित समय
1.	छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2008	15 मिनट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा गुरूवार दिनांक 21 एवं शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2008 को रखी जाए । शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी के लिये प्राप्त केवल एक अशासकीय संकल्प को आगामी शुक्रवार को लिया जाये ।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि शनिवार, दिनांक 23 फरवरी, 2008 को वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक का उपस्थापन, दिनांक 25, 26 एवं 27 को वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा तथा दिनांक 28, 29 फरवरी, तथा 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17 एवं 18 मार्च, 2008 को विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा

होगी । विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तथा मतदान उपरांत 18 मार्च, 2008 को वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक से संबंधित विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन एवं दिनांक 19 मार्च, 2008 को विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

7.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री ब्लासियुस एक्का, अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री (डॉ.रमन सिंह), नेता प्रतिपक्ष (श्री महेन्द्र कर्मा), सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा एवं कु.कामदा जोल्हे ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त जन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगत के सम्मान में अपराह्न 12.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 19 फरवरी, 2008 (माघ 30, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2008
(माघ - 30, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 23 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03, 05, 06, 08, 09 तथा 11 से 13 (कुल 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 04, 07 एवं 10 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री सियाराम कौशिक, श्री नंदकुमार पटेल एवं श्री मोतीलाल देवांगन अनुपस्थित रहे । प्रश्न संख्या 2 पर श्री धनेन्द्र साहू की अनुपस्थिति में मोहम्मद अकबर, सदस्य अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 18 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखा ।

3. नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए ।

4. नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखी गई ।

5. नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया ।

6. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदेश में नक्सली वारदातों एवं घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने संबंधी डॉ.शक्राजीत नायक, सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, नंदकुमार पटेल, बोधराम कंवर, सत्यनारायण शर्मा, भूपेश बघेल, धर्मजीत सिंह, डॉ.रामचंद्र सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, गणेश शंकर बाजपेयी, उदय मुदलियार, डॉ.हरिदास भारद्वाज, राजेन्द्र पामभोई, रामदयाल उइके, चुरावन मंगेशकर डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ.शिवकुमार डहरिया, सदस्य से प्राप्त सूचनाओं में से श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य की सूचना तथ्यात्मक होने से पढ़ी गई ।

श्री रामविचार नेताम,गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

शासन की सहमति एवं माननीय सदस्यों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अपराह्न 3.30 बजे का समय नियत किया ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड सिलतरा, जिला-रायपुर में अनेक श्रमिकों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(12.17 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

श्री हेमचंद यादव, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने इंदिरा प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक, रायपुर के खातेदारों को जमा राशि वापस नहीं किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामसेवक पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने रतनजोत लगाने बिना राशि आहरण किए जाने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

9. वर्ष 2007-2008 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2007-2008 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

उपाध्यक्ष महोदय ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चाऔर मतदान के लिए दिनांक 20 फरवरी, 2008 की तिथि निर्धारित की ।

(12.49 से 3.30 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

10. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, विजय अग्रवाल, उदय मुदलियार, त्रिलोचन पटेल, धर्मजीत सिंह, सिद्धनाथ, सत्यनारायण शर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री निर्मल सिन्हा, डॉ.शक्राजीत नायक, नोवेल कुमार वर्मा,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 58 को शिथिल कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री भूपेश बघेल, श्री महेन्द्र कर्मा ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिया गया ।

सायं 6.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 20 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 1, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2008

(फाल्गुन - 1, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 18 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 तथा 10 (कुल 09) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 09 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री त्रिलोचन पटेल अनुपस्थित रहे । प्रश्न संख्या 04 पर श्री मोतीलाल देवांगन की अनुपस्थिति में श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 1 तारांकित प्रश्न एवं 17 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. स्थगन प्रस्ताव

प्रश्नकाल की समाप्ति पश्चात् प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा दंतेवाड़ा जेल से कैदियों के फरार होने संबंधी सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, डॉ.शक्राजीत नायक, नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, महेन्द्र कर्मा, डॉ.रामचन्द्र सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, भूपेश बघेल, मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह, ताम्रध्वज साहू, डॉ.हरिदास भारद्वाज, उदय मुदलियार, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ.शिवकुमार डहरिया, सदस्य से प्राप्त सूचनाओं में से डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य की सूचना तथ्यात्मक होने से पढ़ी गई ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(12.30 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

माननीय उपाध्यक्ष ने माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में अपने विचार रखने का आग्रह किया ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराने की मांग करते हुए व्यवधान एवं नारेबाजी की गई ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने अनुपूरक प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की सहमति दी ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा तत्काल स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की ।

व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.51 बजे स्थगित की जाकर 1.10 बजे पुनः प्रारंभ हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

प्रतिपक्ष के सदस्य गण गर्भगृह में आये तथा नारेबाजी की ।

3. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री भूपेश बघेल, नंदकुमार पटेल, महेन्द्र कर्मा, डॉ.रामचंद्र सिंहदेव, बलराम सिंह ठाकुर, डॉ.हरिदास भारद्वाज, राजकमल सिंघानिया, रामदयाल उईके, अमरजीत भगत, चुरावन मंगेशकर, गणेशशंकर बाजपेयी, धर्मजीत सिंह, मोहम्मद अकबर, डॉ.शिवकुमार डहरिया, उदय मुदलियार, डॉ.शक्राजीत नायक, रामपुकार सिंह,बोधराम कंवर, सत्यनारायण शर्मा, रविन्द्र चौबे ।

माननीय उपाध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों को सभा से बाहर जाने के निर्देश दिए व सदस्यों के निलंबन की अवधि पश्चात् विनिश्चित करने की सूचना दी ।

4. बहिर्गमन

दंतेवाड़ा जेल से फरार कैदियों के संबंध में शासन के उत्तर के विरोध में श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया ।

5. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए ।

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि शासन का वक्तव्य तथा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात उन्होंने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने सीपत में विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना के पूर्व राज्य शासन से किये गये अनुबंध का एन.टी.पी.सी. द्वारा पालन नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 2 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य (अनुपस्थित)

7. निलंबन अवधि का निर्धारण

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - उन्होंने आज सभा के गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण नियमावली के नियम 250 के अंतर्गत सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि नियम 250 (1) के अंतर्गत आज दिनांक 20.2.2008 की सभा की शेष अवधि निर्धारित की है ।

(1.56 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री हेमचंद यादव, परिवहन मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 1 सन् 2008) पुरःस्थापित किया ।

9. वर्ष 2007-2008 के तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

सदन द्वारा सहमति दी गई ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 29, 30, 32, 39, 41, 45, 56, 64, 67, 68, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो सौ चवालीस करोड़, अट्ठारह लाख, सत्रह हजार, तीन सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

सर्वश्री देवजी पटेल, लच्छुराम कश्यप, निर्मल सिन्हा, दयालदास बघेल, नोवेल कुमार वर्मा ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 1) विधेयक, 2008

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 1) विधेयक, 2008 (क्रमांक 2 सन् 2008) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 1) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 1) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 4.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनाँक 21 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 2, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरूवार, दिनांक 21 फरवरी, 2008

(फाल्गुन - 2, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04 तथा 06 से 10 (कुल 09) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री देवजी पटेल अनुपस्थित रहे । प्रश्न संख्या 04 पर श्री मोतीलाल देवांगन की अनुपस्थिति में श्री नंदकुमार पटेल तथा प्रश्न संख्या 10 पर श्री धनेन्द्र साहू की अनुपस्थिति में मोहम्मद अकबर, सदस्य अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 3 तारांकित प्रश्न एवं 16 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन बनाये गये निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा संपरीक्षा वर्ष 2006-2007 पटल पर रखा ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य ने लोक निर्माण विभाग द्वारा निम्न गुणवत्ता की सड़क निर्माण किये जाने की ओर राज्य मंत्री, लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

डॉ.सुभाऊ कश्यप, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में दवाई का अभाव होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) डॉ.हरिदास भारद्वाज

(2) श्री निर्मल सिन्हा

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य के द्वारा चर्चा प्रारंभ करते ही कृतज्ञता ज्ञापन की महत्वपूर्ण चर्चा के अवसर पर अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया ।

माननीय उपाध्यक्ष ने उक्त परिप्रेक्ष्य में संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर उल्लेख किया कि - ''राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा एक महत्वपूर्ण अवसर है मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं ।''

श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए :-

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री उदय मुदलियार, बोधराम कंवर, नंदकुमार पटेल, गणेशशंकर बाजपेयी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, मोहम्मद अकबर, नोवेल कुमार वर्मा, रविन्द्र चौबे, डॉ.शक्राजीत नायक ।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1.56 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

श्री नंदकुमार पटेल (जारी)

7. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने आसंदी से संसदीय परम्पराओं का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि महामहिम राज्यपाल के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के अवसर पर सदन में मुख्यमंत्री तथा अधिकारी दीर्घा में मुख्य सचिव को उपस्थित रहना चाहिये । परम्परा का पालन नहीं होने तक कथन कहते हुए प्रतिपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

श्री विजय अग्रवाल (जारी)

9. बहिर्गमन

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में सदन से बहिर्गमन किया ।

10. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

श्री विजय अग्रवाल (जारी)

11. आसंदी से व्यवस्था

संसदीय प्रजातंत्र में परंपराओं का निर्वहन आवश्यक तत्व

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ।

इस अवसर पर माननीय सदस्य चर्चा के माध्यम से राज्य की स्थिति पर समग्र रूप से विचार करते हैं । यद्यपि कौन उपस्थित रहे या न रहे ऐसी कोई बाध्यता नियमों में नहीं है, लेकिन संसदीय प्रजातंत्र में परंपराओं का निर्वहन एक आवश्यक तत्व है और इनके निर्वहन में ही सदन की गरिमा ओर सदन की प्रतिष्ठा सन्निहित है ।

मेरा आग्रह है कि स्थापित परंपराओं को और अक्षुण्ण रखा जाये । मेरा प्रतिपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह है कि वे सभा की कार्यवाही में हिस्सा लें ।

12. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

श्री विजय अग्रवाल (जारी)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन में उपस्थित हुए ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने आसंदी से अनुरोध किया कि श्री नंदकुमार पटेल को उनका भाषण जारी रखने दिया जाये । आसंदी द्वारा अनुमति दी गई ।

श्री नंदकुमार पटेल (जारी), सर्वश्री विजय अग्रवाल, उदय मुदलियार, निर्मल सिन्हा, ताम्रध्वज साहू, सिद्धनाथ,

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु सायं 6.00 बजे तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

डॉ.शक्राजीत नायक, सर्वश्री कमलभान सिंह, डॉ.हरिदास भारद्वाज (जारी)

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य डॉ.हरिदास भारद्वाज का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

डॉ.हरिदास भारद्वाज ।

सायं 6.11 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 22 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 3, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2008
(फाल्गुन - 3, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 तथा 09 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 08 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री त्रिलोचन पटेल अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 1 तारांकित प्रश्न एवं 7 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. वर्ष 2007-2008 का आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2007-2008 पटल पर रखा ।

3. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

सचिव, विधानसभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक - 30 - क की अपेक्षानुसार द्वितीय विधान सभा के जुलाई, 2007 सत्र में पारित सभी 09 विधेयकों तथा नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र में पारित 06 विधेयकों में से 04 विधेयकों जिन पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण पटल पर रखा गया ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने रायपुर जिला के पायलीखण्ड स्थित हीरा खदानों में अवैध उत्खनन होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री रामदयाल उइके, सदस्य (अनुपस्थित)

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार श्री निर्मल सिन्हा, सदस्य की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री चन्दूलाल साहू

(2) श्री निर्मल सिन्हा

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री हेमचंद यादव, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 1 सन् 2008) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री विजय अग्रवाल तथा श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री हेमचंद यादव, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री हेमचंद यादव, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 1 सन् 2008) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ.बालमुकुंद देवांगन,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

डॉ.बालमुकुंद देवांगन (जारी)

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए आसंदी का ध्यान आकर्षित किया कि - महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन चर्चा एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें अधिकारियों को उपस्थित होना चाहिए, किन्तु कल के निर्देश के बाद आज भी अधिकारियों की अनुपस्थिति, उचित नहीं है ।

9. आसंदी से व्यवस्था

सदन की गरिमा की अक्षुण्णता के लिए परम्पराओं का निर्वहन

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि - यद्यपि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बात कह दी है लेकिन कृपया आप देखें । मैंने कल भी व्यवस्था दी थी कि परम्पराओं का निर्वहन यदि नहीं होगा तो सदन की गरिमा कैसे अक्षुण्ण रहेगी ।

10. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय मंत्री गण एवं अधिकारी दीर्घा में आवश्यक अधिकारियों की अनुपस्थिति के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

11. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ.बालमुकुंद देवांगन, श्री दयालदास बघेल,

प्रतिपक्ष के सदस्य गण सदन में उपस्थित हुए ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि- कुछ देर तक सम्माननीय विपक्ष के साथियों का बहिगर्मन था और इस बीच की कार्यवाही में एक-दो नाम आगे बढ़ गये हैं, कल की तरह उदारता का परिचय देकर सदस्यों को कृपया पुनः अनुमति प्रदान करें ।

12. आसंदी से व्यवस्था

परम्पराओं के निर्वहन हेतु सदस्यों को चर्चा के लिए पुनः अवसर

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - सदन की परंपराओं के निर्वहन हेतु मैंने भावना के अनुरूप अपनी व्यवस्था देते हुए माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया था कि वे चर्चा में हिस्सा लें, लेकिन माननीय सदस्यों ने मेरे आग्रह के बावजूद बहिगर्मन किया । मैंने क्रम से प्रतिपक्ष के सदस्यों के नाम पुकारे थे लेकिन माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे । तथापि सदन की भावना एवं आग्रह पर विचार कर मैं पुनः माननीय सदस्यों को अवसर दे रहा हूं ।

13. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

श्री रविन्द्र चौबे (जारी)

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, कु.कामदा जोल्हे, धर्मजीत सिंह, कवासी लखमा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री गणेशशंकर बाजपेयी, नोवेल कुमार वर्मा, कु.रोजलिन बैकमेन, मोहम्मद अकबर (जारी)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, भूपेश बघेल, महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया ।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन
प्रस्ताव पर मत लिया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

14. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कल अपराह्न 11.00 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष 2008-2009 का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे पश्चात् अपराह्न 12.30 बजे माननीय मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा के सेंट्रल लॉन में दोपहर भोज की व्यवस्था की गयी है समस्त माननीय सदस्य एवं पत्रकारगण आमंत्रित हैं।

सायं 7.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनाँक 23 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 4, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शनिवार, दिनांक 23 फरवरी, 2008

(फाल्गुन - 4, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 25, 26 एवं 27 फरवरी, 2008 की तिथियाँ आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत की गई ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना दिनांक 25 फरवरी को अपराह्न 3.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है । कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

अपराह्न 11.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 6, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2008
(फाल्गुन - 6, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06 एवं 12 तथा 15 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए ।

2. आसंदी से व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने तारांकित प्रश्न संख्या 04 एवं 12 का विषय एक होने पर व्यवस्था दी कि - आज की प्रश्नोत्तर सूची में दंतेवाड़ा जेल ब्रेक कर कैदियों के फरार होने के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 04-डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य का एवं तारांकित प्रश्न संख्या-12 श्री भूपेश बघेल, सदस्य का है । अध्यक्ष के स्थायी आदेश 15 के अनुसरण में उन्होने तारांकित प्रश्न संख्या-4 एवं तारांकित प्रश्न संख्या-12 को एक साथ लेने की अनुज्ञा दी है ।

3. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 5 तारांकित प्रश्न एवं 16 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

शासन की ओर से प्राप्त उत्तर में विसंगति होने के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 01 को गृह विभाग के आगामी प्रश्न दिन तक के लिए स्थगित किया गया ।

4. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

5. आसंदी से निर्देश

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने बी.ए. प्रथम वर्ष की भूगोल पुस्तक में गोंड समाज के लिए आपत्तिजनक उल्लेख होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की । डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री , उच्च शिक्षा के संक्षिप्त कथन के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने इस पर वक्तव्य देने हेतु राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा को निर्देशित किया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने ग्राम-खम्हरिया, तहसील-घरघोड़ा, थाना-तमनार, जिला-रायगढ़ में लोक सुनवाई के दौरान ग्रामवासियों के साथ मार-पीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(12.13 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया । चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष द्वारा शासन की ओर से प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं होने का उल्लेख करते हुए, इस ध्यानाकर्षण को आगामी तिथि में लेने का अनुरोध किया गया ।

7. आसंदी से व्यवस्था

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- ध्यानाकर्षण में जो बिन्दु उठाए गए हैं, शासन की ओर से प्राप्त जवाब में वे बिन्दु सम्मिलित हैं ।

8. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण सूचना क्र. 01 पर चर्चा के दौरान श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

9. ध्यानाकर्षण सूचना

(2) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश में रासायनिक खाद की अनुपलब्धता की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

10. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई ।

11. वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की । (जारी)

(1.50 से 3.16 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

12. वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री लच्छुराम कश्यप,

13. वक्तव्य

गोंड समाज के संबंध में आपत्तिजनक उल्लेख

यूनीफाइड भूगोल पुस्तक में गोंड समाज के संबंध में आपत्तिजनक उल्लेख के बारे में डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री , उच्च शिक्षा ने वक्तव्य दिया ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

14. वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री ताम्रध्वज साहू (जारी)

(सभापति महोदय (श्री गणेशशंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए ।)

श्री ताम्रध्वज साहू, श्री कमलभान सिंह, श्री उदय मुदलियार (चर्चा जारी)

सायं 5.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 7, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2008
(फाल्गुन - 7, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03, 05 से 07 तथा 09 से 11 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 04 एवं 08 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री अमरजीत भगत एवं श्री सियाराम कौशिक अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 3 तारांकित प्रश्न एवं 24 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर चर्चा के दौरान श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने नवभारत कोल फील्ड प्राइवेट लिमिटेड को नियम विरूद्ध कोयला खदान आवंटित किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

4. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 01 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजनांदगांव को डी.सी.आई. द्वारा मान्यता प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री प्रीतम साहू

(2) श्री चन्दूलाल साहू

(3) श्री निर्मल सिन्हा

7. मंत्री का वक्तव्य

सुश्री लता उसेंडी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने दिनांक 03 दिसम्बर, 2007 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-25 (क्रमांक-655) के उत्तर के संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया ।

8. वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

श्री उदय मुदलियार (क्रमशः)

(1.28 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री गणेशशंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए ।)

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री विनोद खाण्डेकर, चंदूलाल साहू, निर्मल सिन्हा (जारी)

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री निर्मल सिन्हा, कवासी लखमा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, प्रीतम साहू, श्रीमती पिंकी शिवराज शाह, डॉ.बालमुकुंद देवांगन, डॉ.शक्राजीत नायक (जारी)

(सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से माननीय सदस्य डॉ.शक्राजीत नायक का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

डॉ.शक्राजीत नायक ।

(चर्चा जारी)

सायं 5.36 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 8, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2008

(फाल्गुन - 8, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03 तथा 06 से 13 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री ताम्रध्वज साहू के स्थान पर अधिकृत सदस्य श्री रविन्द्र चौबे तथा प्रश्न संख्या 04 एवं 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री त्रिलोचन पटेल व चन्द्रभान बारमते अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 8 तारांकित प्रश्न एवं 25 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने किसानों की जमीन को कम कीमत पर अधिग्रहीत कर अधिक दर पर बेचे जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।
श्री गणेशराम भगत, आवास एवं पर्यावरण ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

(2) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने भोरमदेव चीनी मिल द्वारा किसानों से गन्ना समय पर खरीदी नहीं किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।
डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया ।

3. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार डॉ.चेतन वर्मा, सदस्य की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई ।

5. आसंदी से व्यवस्था

बजट पर चर्चा विषय तक सीमित रहना, अपेक्षित

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - बजट पर सामान्य चर्चा में माननीय सदस्यों से अपेक्षा रहती है कि वे बजट की सामान्य योजना, व्यय की किसी मांग का घटाना अपेक्षित है ? या बढ़ाना अपेक्षित है ? बजट तथा वित्त मंत्री के भाषण में कराधान की नीति तक अपनी बातें सुझाव रखना तक होना चाहिये ।

अपने क्षेत्र की बातें, शिकायतें, मांगों पर व्यय संबंधी बातें, अनुदान मांगों पर चर्चा के समय उठानी चाहिये । मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य कृपया अपने भाषण में इन बातों का ध्यान रखें ।

6. वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

कु. रोजलिन बैकमेन, श्री नोवेल कुमार वर्मा (जारी)

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री नोवेल कुमार वर्मा ।

(1.35 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, कु.कामदा जोल्हे, दयालदास बघेल, धर्मजीत सिंह (जारी)

(सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

श्री धर्मजीत सिंह (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, अमरजीत भगत, महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

सायं 6.01 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 28 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 9, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरूवार, दिनांक 28 फरवरी, 2008

(फाल्गुन - 9, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 15 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06 तथा 08 एवं 09 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य डॉ.चेतन वर्मा अनुपस्थित रहे । प्रश्न संख्या 04 पर श्री ताम्रध्वज साहू की अनुपस्थिति में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 16 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक संकलित ऑडिट रिपोर्ट, पालन प्रतिवेदन (उत्तर), प्रबंध मंडल की टिप्पणी एवं संक्षिप्त वार्षिक लेखा वर्ष 2006-2007 पटल पर रखा ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सुश्री कामदा जोल्हे, सदस्य ने जिला-रायगढ़, विकासखण्ड बरमकेला के जनपद पंचायत कार्यालय के लिपिक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

4. बहिर्गमन

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री ओमप्रकाश राठिया, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 29 फरवरी, 2008 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 04)	श्री नंदकुमार पटेल	30 मिनट
2. (क्रमांक - 06)	श्री मोहम्मद अकबर	30 मिनट
3. (क्रमांक - 10)	श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम	45 मिनट
4. (क्रमांक - 07)	श्री संजय ढीढी	45 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अमरजीत भगत

(2) श्री ननकीराम कंवर

(3) श्री गणेशशंकर बाजपेयी

7. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 80, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 59, स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 27, राज्य विधान मण्डल से संबंधित मांग संख्या 28, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-30 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, उदय मुदलियार, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सुश्री कामदा जोल्हे, मोहम्मद अकबर, **मांग संख्या-80 पर** सर्वश्री उदय मुदलियार एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-59 पर** सर्वश्री उदय मुदलियार एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-27 पर** डॉ.शक्राजीत नायक, सुश्री कामदा जोल्हे, श्री चैतराम साहू, मोहम्मद अकबर, डॉ.हरिदास भारद्वाज,एवं **मांग संख्या-28 पर** श्री उदय मुदलियार एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री उदय मुदलियार (जारी)

(1.31 से 2.30 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री उदय मुदलियार, देवजी पटेल

(सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री डॉ.हरिदास भारद्वाज, लच्छुराम कश्यप, धर्मजीत सिंह ।

(चर्चा जारी)

सायं 5.31 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 29 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 10, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 29 फरवरी, 2008

(फाल्गुन - 10, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 15 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03 तथा 05 से 11 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 02 एवं 04 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री राजकमल सिंघानिया एवं श्री रामदयाल उईके अनुपस्थित रहे । प्रश्न संख्या 09 पर श्री महेन्द्र कर्मा के स्थान पर श्री भूपेश बघेल, सदस्य अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 07 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल कर उन्होंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

(1) श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने राजनांदगांव से कुकमेरा तक कारीडोर निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर राज्य मंत्री, लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, लोक निर्माण ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने विद्युत विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक तैयार किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश में रसोई गैस की कालाबाजारी होने की ओर राज्यमंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

श्री सत्यानंद राठिया, राज्यमंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ने इस पर वक्तव्य दिया ।

4. बहिर्गमन

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(4) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य (अनुपस्थित)

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन

(2) श्री कवासी लखमा

(3) श्री बोधराम कंवर

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री निर्मल सिन्हा

(2) श्री लच्छुराम कश्यप

(3) श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम

(4) श्री बोधराम कंवर

8. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय पंचायत मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री कमलभान सिंह, सियाराम कौशिक, संजय ढीढी ।

(चर्चा जारी)

(1.30 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री नंदकुमार पटेल(अनुपस्थित)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य आसंदी की अनुमति से अनुपस्थित हैं, अतः उनके अशासकीय संकल्प को आगामी कार्य दिवस में लिया जाएगा ।

(2) रायपुर से धमतरी तक चलने वाली छोटी लाईन की रेलगाड़ी को तेलीबांधा, रायपुर से धमतरी तक चलाया जाना ।

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री कमलभान सिंह, धर्मजीत सिंह ।

श्री हेमचंद यादव, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प पर मत लिया गया ।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ ।

(3) प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, कमार, बिरहोर, अबूझमाड़िया तथा पहाड़ी कोरबा को विधान सभा में आवश्यक रूप से प्रतिनिधित्व देने के लिये एंग्लो इंडियन समुदाय के समान चक्रानुक्रम में नामजद किये जाने हेतु संवैधानिक प्रावधान किया जाना ।

श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री लच्छुराम कश्यप, धर्मजीत सिंह, सिद्धनाथ पैकरा, डॉ.हरिदास भारद्वाज, मोहम्मद अकबर, निर्मल सिन्हा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी ।

श्री धर्मजीत सिंह एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि अशासकीय संकल्प में उल्लिखित शब्द ''चक्रानुक्रम में'' को हटाकर पांचों जातियों के एक-एक प्रतिनिधि को नामजद किए जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाय ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संशोधन को स्वीकार किए जाने पर सहमति व्यक्त की ।

संशोधित अशासकीय संकल्प - यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, कमार, बिरहोर, अबूझमाड़िया तथा पहाड़ी कोरबा को विधान सभा में आवश्यक रूप से प्रतिनिधित्व देने के लिये एंग्लो इंडियन समुदाय के समान नामजद किये जाने हेतु संवैधानिक प्रावधान किया जाना'' पर मत लिया गया ।

यथा संशोधित संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ ।

(4) तालाबों को प्रदूषण, अतिक्रमण और उथलीकरण से बचाने के लिये कार्ययोजना बनाई जाकर क्रियान्वित किया जाना

श्री संजय ढीढी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री डॉ.रामचन्द्र सिंहदेव, भूपेश बघेल, धर्मजीत सिंह, डॉ. हरिदास भारद्वाज, निर्मल सिन्हा, उदय मुदलियार ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प को सर्वानुमति से स्वीकार किए जाने पर सहमति व्यक्त की । ।

संकल्प पर मत लिया गया ।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ ।

सायं 4.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2008 (फाल्गुन 13, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2008
(फाल्गुन - 13, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03, 04 तथा 06 से 10 के अलावा दिनांक 25 फरवरी, 2008 को स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर भी चर्चा हुई । (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 02 एवं 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री गणेशशंकर बाजपेयी एवं डॉ.चेतन वर्मा अनुपस्थित रहे । प्रश्न संख्या 04 पर श्री देवजी पटेल के स्थान पर श्री निर्मल सिन्हा, सदस्य अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 6 तारांकित प्रश्न एवं 14 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश में अमानक स्तर की पॉलीथीन का प्रचलन होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री गणेशराम भगत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई :-

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री निर्मल सिन्हा

(2) श्री सियाराम कौशिक

6. भोजन अवकाश स्थगित

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी जाने एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिए पत्रकार कक्ष के समीप दोपहर भोज का आयोजन माननीय गृह मंत्री द्वारा किये जाने की जानकारी दी ।

7. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय पंचायत मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री संजय ढीढी ने पुर्नग्रहीत चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए ।)

श्री मोहम्मद अकबर,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री प्रीतम साहू, नोवेल कुमार वर्मा, महंत रामसुंदर दास, निर्मल सिन्हा, दयालदास बघेल, सेवकराम नेताम, भूपेश बघेल ।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

मांगों पर मत लिया गया ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने भू राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 8, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय मांग संख्या 9, वन विभाग से संबंधित मांग संख्या 10, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या 35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या 58, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय मांग संख्या 26, पर्यटन से संबंधित मांग संख्या 37, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या 29 एवं खेल और युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या 43 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-8 पर सर्वश्री डॉ. हरिदास भारद्वाज, महंत रामसुंदर दास, उदय मुदलियार **मांग संख्या-9 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार, महंत रामसुन्दर दास **मांग संख्या-10 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार, महंत रामसुन्दर दास **मांग संख्या-35 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार, महंत रामसुन्दर दास **मांग संख्या-58 पर** सर्वश्री डॉ.हरिदास भारद्वाज, उदय मुदलियार, महंत रामसुन्दर दास **मांग संख्या-51 पर** महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार **मांग संख्या-26 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार, महंत रामसुन्दर दास, **मांग संख्या-37 पर** महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार **मांग संख्या-29 पर** सर्वश्री डॉ.हरिदास भारद्वाज, उदय मुदलियार, महंत रामसुंदर दास एवं **मांग संख्या-43 पर** सर्वश्री उदय मुदलियार, डॉ.हरिदास भारद्वाज, महंत रामसुन्दर दास, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों तथा कटौती के प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री उदय मुदलियार, ननकीराम कंवर, डॉ.हरिदास भारद्वाज (जारी)

(सभापति महोदय (श्री ननकीराम कंवर) पीठासीन हुए ।)

डॉ.हरिदास भारद्वाज (जारी)

(सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से माननीय सदस्य डॉ.हरिदास भारद्वाज का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

डॉ.हरिदास भारद्वाज ।

(चर्चा चारी)

8. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि कल दिनांक 04 मार्च, 2008 को राजिम कुंभ मेले में समस्त माननीय सदस्यों को सायं 7.00 बजे संस्कृति मंत्री जी की ओर से आमंत्रित किया गया है । आमंत्रण पत्र खानेदार आलमारी से वितरित किए गए हैं । संस्कृति विभाग द्वारा राजिम कुंभ जाने हेतु सायं 5.30 बजे विधान सभा से बस की व्यवस्था की गयी है ।

सायं 5.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2008 (फाल्गुन 14, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2008

(फाल्गुन - 14, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष द्वारा राजिम मेले में बाहर से आये साधु संतों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संबंध में कथित अपमानजनक टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए, सरकार द्वारा राजिम कुंभ मेले का राजनीतिक उपयोग करने संबंधी कथन किया गया । उन्होंने प्रश्नकाल स्थगित कर इस पर चर्चा कराने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि इस संबंध में उन्हें उनसे किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों तथा सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने तथा व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.10 बजे स्थगित की जाकर 11.31 बजे पुनः प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा पुनः राजिम मेले में साधुओं द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का उल्लेख करते हुए नारेबाजी तथा व्यवधान किया गया ।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए प्रश्नकाल के पश्चात इस विषय पर सदस्य अपनी बात रख सकते हैं अनुरोध किया । किन्तु प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी तथा व्यवधान किया गया ।

निरंतर व्यवधान के कारण पूर्वाह्न 11.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2008 (फाल्गुन 15, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2008

(फाल्गुन - 15, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष द्वारा राजिम मेले में वेदांती महाराज द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संबंध में कथित अपमानजनक टिप्पणियां करने तथा सरकार द्वारा राजिम कुंभ मेले का राजनीतिक उपयोग करने संबंधी कथन किया गया । उन्होंने प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा वेदांती महाराज की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की गई ।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से एक-एक कर अपनी बात रखने का आग्रह किया तथा प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने घटना के संबंध में दु:ख व्यक्त किया ।

सभा में सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा पुन: सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने तथा व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई ।

निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.10 बजे स्थगित की जाकर 11.22 बजे पुन: प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा पुन: राजिम मेले में वेदांती महाराज द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का उल्लेख करते हुए नारेबाजी की गई । सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा भी नारेबाजी की गई ।

निरंतर व्यवधान के कारण पूर्वाह्न 11.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2008 (फाल्गुन 20, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2008

(फाल्गुन - 20, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. राष्ट्रकुल दिवस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अनौपचारिक उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि - राष्ट्रकुल के सदस्य देश, प्रतिवर्ष मार्च माह के द्वितीय सोमवार को राष्ट्रकुल दिवस के रूप में मनाते हैं ।

तद्नुसार आज सोमवार, दिनांक 10 मार्च, राष्ट्रकुल दिवस है । इस वर्ष राष्ट्रकुल देशों ने **पर्यावरण-हमारा भविष्य** सूत्र को वर्ष 2008 का आधार बनाया है ।

राष्ट्रकुल वैश्विक, राजनैतिक पृष्ठभूमि का वृहद और अहम हिस्सा है । इसमें अफ्रीकी, एशियाई, कैरिबियाई, यूरोपियन और पैसेफिक तथा अन्य समाविष्ट हैं । समता पर आधारित यह एक ऐसा संगठन है जो लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का पक्षधर है । यहां एक ओर जहां धन-कुबेरों की अपनी भूमि है वहीं गरीबों की अपनी धरती है । जहां भिन्न-भिन्न धर्म, संस्कृति, भाषा, जाति के लोग परस्पर सहिष्णुता, अनेकता में एकता को अपना मूल मंत्र मानते हुए तथा प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अंगीकृत करते हुए समता मूलक, शोषण मुक्त समाज की स्थापना हेतु प्रयासरत हैं ।

स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में व्याप्त मत-मतान्तरों, कार्य-व्यवहार में भिन्नताओं तथा भिन्न-भिन्न राजनैतिक प्रतिबद्धताओं के मध्य समन्वय, संतुलन स्थापित करने की राह यद्यपि आसान नहीं होती तथापि परस्पर सौहार्द्र, विचारों के आदान-प्रदान, मत-भिन्नताओं के प्रति आदर भाव, परस्पर मेल-जोल की सतत् प्रक्रियाओं को अपनाते हुए राष्ट्रकुल संसदीय संगठन ने एक मिसाल कायम की है ।

पर्यावरण, वातावरण के प्रति सजगता, सतर्कता एवं जागरूकता सामयिक अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है । दूषित पर्यावरण से हमारा वर्तमान तो प्रभावित होता ही है, भविष्य के भी अंधकारमय होने की परिस्थितियां परिलक्षित हो रही हैं । आज आवश्यकता इस बात की है हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति वचनबद्ध हों क्योंकि न केवल हमारा अस्तित्व अपितु विकास की समस्त परिकल्पनाएं स्वच्छ पर्यावरण पर ही आश्रित है ।

आइये, हम सब भी **पर्यावरण-हमारा भविष्य** को अपना मूल मंत्र बनाएं और स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण के प्रति सजग, सतर्क एवं कटिबद्ध रहें ।

इस अवसर पर यही मेरी शुभकामनाएं हैं ।

प्रश्नोत्तर प्रारंभ होने के पूर्व ही श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने राजिम मेले में पूर्व सांसद श्री रामविलास वेदांती के प्रवचन के परिप्रेक्ष्य में संस्कृति मंत्री के बयान को गुमराह करने वाला बताते हुए संस्कृति मंत्री के प्रश्नों, अनुदान मांगों एवं अन्य कार्यवाही के बहिष्कार करने संबंधी कथन किया ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा माननीय अध्यक्ष से व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही गई ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान एवं नारेबाजी की गई ।

माननीय सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.07 बजे स्थगित की जाकर 12.03 बजे पुन: प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री भूपेश बघेल, श्री धनेन्द्र साहू, श्री नोवेल कुमार वर्मा तथा श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा राजिम मेले में कबीर पंथ के एक संत पर पुलिस द्वारा चोरी का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट किए जाने की घटना का उल्लेख कर इस पर सदन में चर्चा कराने की मांग की गई ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा शासन के खिलाफ नारेबाजी की गई । सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा भी नारेबाजी की गई । माननीय अध्यक्ष ने सभा के संचालन में सहयोग की अपील की ।

व्यवधान के कारण 12.14 बजे सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने राजिम कुंभ में श्री वेदांती द्वारा की गई टिप्पणी एवं कबीरपंथी संत के साथ दुर्व्यवहार पर सदन में चले आ रहे गतिरोध को दूर करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि संस्कृति मंत्री की ओर से इस संबंध में वक्तव्य आने की उन्हें सूचना प्राप्त हुई है ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए व्यक्त किया कि वे संस्कृति मंत्री के विभागों की मांगों अथवा उनके वक्तव्य का बहिष्कार करने का सैद्धांतिक निर्णय ले चुके हैं ।

2. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यस्था दी कि - जो सदन की माननीय परम्परा है, अगर कोई मंत्री वक्तव्य देना चाहता है और चूंकि यह संस्कृति विभाग का ही मामला है और संस्कृति मंत्री ने वक्तव्य के लिये अनुमति मांगी है । उनको अनुमति दी गई है ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाए गए ।)

3. वक्तव्य

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने राजिम कुंभ मेले की व्यवस्था के संबंध में वक्तव्य दिया ।

4. बहिष्कार
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा संस्कृति मंत्री के वक्तव्य के विरोध में

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा संस्कृति मंत्री के वक्तव्य के विरोध में सदन का बहिष्कार किया गया ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

कृषि मंत्री की अनुपस्थिति में आसंदी की अनुज्ञा से - डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग, अधिनियम (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखा ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल, सदस्य (अनुपस्थित)

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश में डेयरी विभाग में स्थापना पर अपव्यय किये जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।
डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया ।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई ।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्य की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम

9. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2008-2009 की अवधि के लिए नौ-नौ सदस्य निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री गणेशराम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - अनुसूचित जाति, अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2008-2009 की अवधि के लिए 09 सदस्य जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2008 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2008 को अपराह्न 1.30 बजे विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी ।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरूवार, दिनांक 13 मार्च, 2008 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 2008 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।
उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

10. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय राजस्व मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

डॉ.बालमुकुंद देवांगन,

(सभापति महोदय (श्री ननकीराम कंवर) पीठासीन हुए ।)

श्री नोवेल कुमार वर्मा ।

11. बहिष्कार

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में सदन का बहिष्कार किया ।

12. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री सिद्धनाथ ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

मांगों पर मत लिया गया ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने पुलिस विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 4, जेल विभाग से संबंधित मांग संख्या 5 तथा सहकारिता विभाग से संबंधित मांग संख्या 17 प्रस्तुत की ।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए ।

अनुदान मांगों की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री त्रिलोचन पटेल, श्री सिद्धनाथ ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

मांगों पर मत लिया गया ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(3) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या 19, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या 22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या 69 तथा नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 81 प्रस्तुत की ।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए ।

अनुदान मांगों की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री विजय अग्रवाल, विनोद खाण्डेकर ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

मांगों पर मत लिया गया ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सायं 5.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2008 (फाल्गुन 21, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2008

(फाल्गुन - 21, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 तथा 09 से 12 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 08 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री नंदकुमार पटेल अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 5 तारांकित प्रश्न एवं 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2008 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

विधि विषयक कार्य	निर्धारित समय
छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008	15 मिनट
छत्तीसगढ़ तंबाखू (निरसन) विधेयक, 2008	15 मिनट
छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2008	1 घंटा 30 मिनट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 11 मार्च, 2008 से 19 मार्च, 2008 तक सभा की बैठक रात्रि 7.30 बजे तक रखी जावे तथा इस दौरान भोजन अवकाश नहीं होगा ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.सदन को सूचना

चिकित्सकीय परीक्षण शिविर

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - विधान सभा भवन स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में दिनांक 11 से 14 मार्च, 2008 तक चिकित्सकीय परीक्षण शिविर आयोजित है। माननीय सदस्य प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य चिकित्सकीय परीक्षण शिविर का लाभ लेवें ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में भारतीय ग्रीन अर्थ टेक्नालॉजी टीसू कल्चर फाइनेंस कम्पनी द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।
श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने किसानों द्वारा उत्पादित इमली का मूल्य शासन द्वारा निर्धारित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।
श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

5. बहिर्गमन

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

(2) श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन

(2) श्री उदय मुदलियार

(3) श्री रविन्द्र चौबे

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया

(2) श्री निर्मल सिन्हा

8. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) श्री गणेश राम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 15, आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित मांग संख्या 33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 49, अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 64, पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित मांग संख्या 66, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 68, बिलासपुर संभाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 77, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 82, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 83 एवं आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 21 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-15 पर डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री उदय मुदलियार, श्री मोहम्मद अकबर **मांग संख्या-33 पर** श्री उदय मुदलियार **मांग संख्या-41 पर** श्री उदय मुदलियार, श्री चन्द्रभान बारमाते, श्री सियाराम कौशिक, डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-68 पर** श्री उदय मुदलियार **मांग संख्या-77 पर** श्री उदय मुदलियार **मांग संख्या-82 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार **मांग संख्या-83 पर** श्री उदय मुदलियार, डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-21 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार, श्री मोहम्मद अकबर, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज,

9. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्य सभा सदस्य माननीय मोतीलाल वोरा जी अध्यक्षीय दीर्घा में हैं । वे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं ।

10. आसंदी से व्यवस्था

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आज प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्य श्री राजकमल सिंघानिया द्वारा आसंदी के निर्देश की अवहेलना करते हुए अनुचित शैली में वार्तालाप किया गया । यह सभा एवं आसंदी माननीय सदस्यों की है और यह दायित्व माननीय सदस्यों का है कि वे इस सभा में अपने आचरण एवं व्यवहार से सभा को गरिमा प्रदान कर अपनी स्वयं की गरिमा में अभिवृद्धि करें ।

मैंने माननीय सदस्य द्वारा सभा एवं सदस्य की गरिमा के विपरीत किये गये व्यवहार से संबंधित कार्यवाही को विलोपित कर दिया है । भविष्य में माननीय सदस्य अपने आचरण को सभा में संयमित रखे ।

11. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री अघन सिंह ठाकुर, उदय मुदलियार

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री सिद्धनाथ, ओंकार शाह, विजयनाथ सिंह,

(सभापति महोदय (श्री ननकीराम कंवर) पीठासीन हुए ।)

श्री चन्द्रभान बारमते ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

श्री गणेशराम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

मांगों पर मत लिया गया ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने कृषि विभाग से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या 16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 54 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-13 पर श्री चन्द्रभान बारमते, श्री उदय मुदलियार, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.शक्राजीत नायक **मांग संख्या-14 पर** श्री चन्द्रभान बारमते, श्री उदय मुदलियार, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.शक्राजीत नायक **मांग संख्या-16 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार एवं **मांग संख्या-54 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.शक्राजीत नायक, श्री त्रिलोचन पटेल, डॉ.हरिदास भारद्वाज,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

श्री चन्दूलाल साहू ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

मांगों पर मत लिया गया ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(3) श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या 23, आयाकट विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या 45, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 57, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 75, श्रम विभाग से संबंधित मांग संख्या 18, परिवहन विभाग से संबंधित मांग संख्या 36 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-23 पर श्री उदय मुदलियार, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.शक्राजीत नायक, **मांग संख्या-40 पर** श्री उदय मुदलियार, **मांग संख्या-45 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार, डॉ.शक्राजीत नायक, **मांग संख्या-57 पर** श्री उदय मुदलियार **मांग संख्या-18 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.शक्राजीत नायक एवं **मांग संख्या-36 पर** श्री चन्द्रभान बारमते, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी ।

सायं 6.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2008 (फाल्गुन 22, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2008
(फाल्गुन - 22, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 20 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05, 07, 08, 10, 11तथा 13 एवं 14 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 06, 09 एवं 12 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री अमरजीत भगत, श्री ओंकार शाह एवं श्री बोधराम कंवर अनुपस्थित रहे । प्रश्न संख्या 01 पर श्री नंदकुमार पटेल के स्थान पर डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 1 तारांकित प्रश्न एवं 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बधाई

श्री शिवप्रताप सिंह, सदस्य को राज्य सभा के सदस्य के रूप में चयनित होने पर सदन की ओर से बधाई दी गयी ।

3.पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2007-2008 के बजट की तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखी ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने स्कार्ट हॉस्पिटल रायपुर द्वारा अनुबंध का उल्लंघन कर बी.पी.एल.कार्ड धारियों से सर्जीकल चार्ज वसूल किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

5. बहिष्कार

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा, श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री के विभागों की चर्चा के बहिष्कार के लिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों में हाथियों द्वारा जनधन की हानि किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) डॉ.हरिदास भारद्वाज

(2) श्री रामपुकार सिंह

(3) श्री भूपेश बघेल

(4) श्री सियाराम कौशिक

8. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय जल संसाधन मंत्री के विभागों की मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री उदय मुदलियार, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, विजय अग्रवाल, डॉ.शक्राजीत नायक,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री सिद्धनाथ, ओंकार शाह,

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, अघन सिंह ठाकुर, देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री गणेश शंकर बाजपेयी, डॉ.चेतन वर्मा, भूपेश बघेल ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

मांगों पर मत लिया गया ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) श्री केदार कश्यप, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या 20 एवं ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या 56 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-20 पर सर्वश्री उदय मुदलियार, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.शक्राजीत नायक, गणेशशंकर बाजपेयी एवं **मांग संख्या-56 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोतीलाल देवांगन,

(चर्चा जारी)

सायं 6.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 13 मार्च, 2008 (फाल्गुन 23, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2008

(फाल्गुन - 23, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 01 एवं 03 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य डॉ.शक्राजीत नायक एवं श्री चैतराम साहू ने सदन में उपस्थित रह कर भी यह व्यक्त करते हुए प्रश्न नहीं पूछे कि उनके दल द्वारा संस्कृति मंत्री के कार्य का बहिष्कार करने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वे प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं ।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 05 तथा 07 से 11 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 04 एवं 06 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः क्रमशः श्री रामदयाल उइके एवं श्री भूपेश बघेल अनुपस्थित रहे । प्रश्न संख्या 06 पर डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी के स्थान पर श्री भूपेश बघेल, सदस्य अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 5 तारांकित प्रश्न एवं 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस के सदस्यों तथा श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. बहिष्कार

तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया ।

4. आसंदी से व्यवस्था

सदस्यों द्वारा सदन में उपस्थित रहकर भी प्रश्न न पूछना

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - किसी माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछकर सभा में उपस्थित रहते हुए किसी मंत्री विशेष से आसंदी द्वारा नाम पुकारे जाने के बाद प्रश्न नहीं पूछना उचित संसदीय परिपाटी नहीं है । प्रश्न एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से माननीय सदस्य शासन से जानकारी प्राप्त करते हैं । प्रश्नों की जानकारी के संकलन में शासन को काफी व्यय भी करना होता है । यही कारण है कि सभा में सदस्यों के आचरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्वांत के क्रमांक-12 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि - **"जब किसी सदस्य का प्रश्न प्रश्नोत्तरी सूची में तारांकित प्रश्न के रूप में मुद्रित होता है, तब उस सदस्य को बिना अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के अनुपस्थित नहीं होना चाहिये ।"** इसका यह स्पष्ट आशय है कि प्रश्न करने के उपरांत अनुपस्थित रहना नहीं करने योग्य कार्यों की श्रेणी में आता है । अनुपस्थित रहने का आशय ही प्रश्न पूछना बन्धनकारी है, से है । और संसदीय प्रक्रियाओं में उपस्थित रहकर प्रश्न नहीं पूछने की बात कोई सोच सकता है, कल्पना से परे है ।

मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य उपस्थित रहते हुये भी प्रश्न नहीं पूछता है तो भी इसे नहीं करने योग्य कार्यों से किसी भिन्न श्रेणी में नहीं रखा जा सकता । यदि कोई माननीय सदस्य किसी मंत्री के बहिष्कार के रूप में प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं तो उचित यही होगा कि वे सभा से बाहर चले जाये ।

संसदीय व्यवस्था में सभा के अन्दर विरोध की प्रक्रियाओं में यह तरीका मान्य नहीं किया जा सकता । सभा से बहिर्गमन अथवा बहिष्कार एक स्थापित तीखे विरोध की प्रक्रिया है ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.शिवकुमार डहरिया, श्री मोहम्मद अकबर, श्री उदय मुदलियार, सदस्य (अनुपस्थित)

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश में नकली खाद की बिक्री होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सिद्धनाथ, सदस्य ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

(2) श्री प्रीतम साहू, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 2008 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 04)	श्री नंदकुमार पटेल	15 मिनट
2. (क्रमांक - 05)	श्री मोहम्मद अकबर	45 मिनट
3. (क्रमांक - 15, 22)	श्री देवजी पटेल श्री चंदूलाल साहू	45 मिनट
4. (क्रमांक - 08)	श्री सिद्धनाथ पैकरा	45 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

7. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के विभागों की अनुदान मांगों पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री लच्छुराम कश्यप, नोवेल कुमार वर्मा, विनोद खाण्डेकर ।

श्री केदार कश्यप, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

मांगों पर मत लिया गया ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

8. सदन को सूचना
विश्व किडनी दिवस पर कार्यशाला

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - भोजन अवकाश उपरान्त दोपहर 2 बजे विश्व किडनी दिवस के अवसर पर डायबिटीज, हायपरटेंशन, किडनी विषय पर केन्द्रित एक जागरूकता कार्यशाला आज गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2008 को समिति कक्ष क्रमांक-2 में आयोजित है । कार्यशाला में चिकित्सा महाविद्यालय के विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे ।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया कार्यशाला में उपस्थित हों ।

(1.49 से 3.21 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

9. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(2) श्री सत्यानंद राठिया, राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 39 प्रस्तुत की ।

प्रस्तावक सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए ।

अनुदान मांगों की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री देवजी पटेल, अधन सिंह ठाकुर, नोवेल कुमार वर्मा ।

श्री सत्यानंद राठिया, राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने चर्चा का उत्तर दिया ।

मांगों पर मत लिया गया ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(3) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा ने उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 44, विज्ञान एवं टेक्नालॉजी से संबंधित मांग संख्या 46 एवं तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित मांग संख्या 47 प्रस्तुत की ।

प्रस्तावक सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए ।

अनुदान मांगों की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री विनोद खाण्डेकर, देवजी पटेल, नोवेल कुमार वर्मा, लच्छुराम कश्यप ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया ।

मांगों पर मत लिया गया ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(4) सुश्री लता उसेंडी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या 34, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 50 एवं महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 55 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-55 पर सुश्री कामदा जोल्हे, सदस्य का कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सुश्री रोजलिन बैकमेन, सुश्री कामदा जोल्हे, लच्छुराम कश्यप ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

सुश्री लता उसेंडी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

मांगों पर मत लिया गया ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

8. सदन को सूचना

सांस्कृतिक संध्या का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - आज सायं 7.30 बजे विधान सभा परिसर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन है, जिसमें विख्यात गायिका सुश्री सुष्मिता दास सुगम संगीत एवं श्री मनिराम पथरोड़ नसतरंग वादन प्रस्तुत करेंगे । कार्यक्रम पश्चात रात्रिभोज भी आयोजित है ।

समस्त माननीय सदस्य एवं पत्रकार गण आमंत्रित हैं ।

सायं 6.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2008 (फाल्गुन 27, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2008
(फाल्गुन - 27, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 20 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए ।

प्रश्नोत्तर सूची में 12 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खंड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन (1.4.2006 से 31.3.2007), एवं

(2) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन 2006-2007 पटल पर रखा ।

3.सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि महामहिम राज्यपाल ने आज रात्रि 8.30 बजे समस्त माननीय सदस्यों को भोजन पर आमंत्रित किया है । भोजन के निमंत्रण पत्र समस्त माननीय सदस्यों को पूर्व में प्राप्त हो गये हैं ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री प्रीतम साहू, सदस्य (अनुपस्थित)

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने मार्कफेड द्वारा अमानक स्तर के बारदाना खरीदे जाने की ओर राज्यमंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

श्री सत्यानंद राठिया, राज्यमंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ने इस पर वक्तव्य दिया ।

5. बहिर्गमन

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री सियाराम कौशिक

(2) श्री मोतीलाल देवांगन

7. मंत्री का वक्तव्य

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2007-2008 के बजट अनुमान की पुस्तिका क्रमांक 25 के पृष्ठ क्रमांक 145 के सरल क्रमांक 18 में किये गये संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया ।

8. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) श्री राजेश मूणत, राज्यमंत्री, लोक निर्माण ने लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 76, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 11 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-24 पर श्री सियाराम कौशिक, डॉ.हरिदास भारद्वाज, महंत रामसुंदर दास **मांग संख्या-67 पर** श्री सियाराम कौशिक, डॉ.हरिदास भारद्वाज, महंत रामसुंदर दास **मांग संख्या-76 पर** महंत रामसुदंर दास एवं **मांग संख्या-11 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं महंत रामसुंदर दास, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी पटेल,

9. आसंदी से व्यवस्था

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा, आसंदी से विलोपित शब्दों की पुनरावृत्ति करने पर माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - अध्यक्षीय व्यवस्था के पश्चात् इसी प्रकार सदस्य का पुनः उन्हीं शब्दों को दोहराना अनुचित है ।

10. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री उदय मुदलियार,

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए ।)

डॉ.बालमुकुंद देवांगन,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, धर्मजीत सिंह, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री संजय ढीढी, ओंकार शाह, निर्मल सिन्हा, भूपेश बघेल ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

श्री राजेश मूणत, राज्यमंत्री, लोक निर्माण ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

मांगों पर मत लिया गया ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मांग संख्या 1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 2, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 6, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 12, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 25, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 31, जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 32, बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान से संबंधित मांग संख्या 38, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या 65, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 60 तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित मांग संख्या 71 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-1 पर डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री गणेश शंकर बाजपेयी, श्री उदय मुदलियार **मांग संख्या-12 पर** श्री सत्यनारायण शर्मा, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार **मांग संख्या-25 पर** श्री सत्यनारायण शर्मा, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार **मांग संख्या-31 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार **मांग संख्या-32 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार **मांग संख्या-38 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार **मांग संख्या-65 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री उदय मुदलियार एवं **मांग संख्या-60 पर** श्री उदय मुदलियार, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज

(चर्चा जारी)

सायं 6.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2008 (फाल्गुन 28, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2008

(फाल्गुन - 28, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 19 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06, 08, 09 तथा 11 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 07 एवं 10 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री कमलभान सिंह एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में 10 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 तथा 11 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत डिन्डीनेश्वरी से जुनवानी तक सड़क निर्माण में अनियमितता किए जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने राजधानी रायपुर के गोकुल नगर में डेयरी का व्यवस्थापन न किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री देवजी पटेल, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन,

(2) श्री कमलभान सिंह, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम एवं अष्टम प्रतिवेदन,

(3) श्री बैदूराम कश्यप, सभापति ने याचिका समिति का नवम, दशम, ग्यारहवां एवं बारहवां प्रतिवेदन एवं

(4) श्री ओमप्रकाश राठिया, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) चतुर्थ प्रतिवेदन

प्रस्तुत किया ।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने निम्न विधेयकों की महत्ता, उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर आज ही पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है :-

(1) छत्तीसगढ़ तम्बाखू (निरसन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008)

(2) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 5 सन् 2008)

(3) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 7 सन् 2008)

(1) छत्तीसगढ़ तम्बाखू (निरसन) विधेयक, 2008

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ तम्बाखू (निरसन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008) पुरःस्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 5 सन् 2008) पुरःस्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 7 सन् 2008) पुरःस्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 7 सन् 2008) की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15 मिनट का समय निर्धारित किया ।

6. वक्तव्य
नक्सली घटना के संबंध में

पामेड़ के जंगल में छत्तीसगढ़ पुलिस और ग्रे हाउण्ड फोर्स के संयुक्त अभियान में 13 नक्सलियों को मार गिराने के संबंध में श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

7. अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए समय निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 153 (2) की अपेक्षानुसार अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए 5.00 बजे तक का समय निर्धारित किया ।

8. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय मुख्यमंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री देवजी पटेल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

(श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने मंत्रियों तथा अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की कमी की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया । प्रतिपक्ष के सदस्य गण सर्वश्री भूपेश बघेल, गणेश शंकर बाजपेयी द्वारा तत्संबंध में आपत्ति की गई ।)

श्री देवजी पटेल (जारी)

9. आसंदी से व्यवस्था

श्री देवलाल दुग्गा, संसदीय सचिव द्वारा अध्यक्षीय दीर्घा में पधारे अतिथि के स्वागत संबंधी उल्लेख पर श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा आपत्ति करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित अतिथि के स्वागत का निर्णय आसंदी से ही किया जाना चाहिए । माननीय उपाध्यक्ष ने तत्संबंधी सहमति देते हुए इसे आसंदी के द्वारा ही निर्धारित किए जाने संबंधी व्यवस्था दी ।

10. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री देवजी पटेल, श्री उदय मुदलियार, गणेश शंकर बाजपेयी, निर्मल सिन्हा,

(सभापति महोदय (श्री गणेशशंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए ।)

श्री धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए ।)

श्री नोवेल कुमार वर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

11. वक्तव्य

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, लोक निर्माण ने दिनांक 11 मार्च, 2008 को माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल के प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 1578) पर चर्चा के दौरान जिन उद्योगों के एम.ओ.यू. निरस्त होने से निरस्त हुई खदानों की लीज की जानकारी 18 मार्च तक प्रस्तुत करने हेतु आसंदी से दिये गये निर्देश के परिपालन में जानकारी सभा पटल पर रखी ।

12. वर्ष 2008-2009 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

मांगों पर मत लिया गया ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2008 का पुर:स्थापन किया ।

14. सदन को सूचना

सांस्कृतिक संध्या का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - आज सायं 7.30 बजे विधान सभा परिसर में विधायिका एवं कार्यपालिका के सदस्यों द्वारा विविध कार्यक्रम प्रस्तुति का आयोजन किया गया है । समस्त सदस्यों से आग्रह है कि कृपया कार्यक्रम में उपस्थित हों । कार्यक्रम पश्चात रात्रिभोज भी आयोजित है ।

सायं 4.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2008 (फाल्गुन 29, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2008

(फाल्गुन - 29, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 12 एवं 14 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 01 एवं 13 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः कु.कामदा जोल्हे तथा डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी अनुपस्थित रहीं ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 3 तारांकित प्रश्न एवं 15 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए (सिविल एवं वाणिज्यिक) छत्तीसगढ़ शासन,

(2) सुश्री लता उसेंडी, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (क्रमांक 6 सन् 2007) की धारा 19 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007, एवं

(3) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 (दिनांक 1 जुलाई, 2006 से 30 जून 2007) पटल पर रखा ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके कार्यसूची में 29 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है । क्रमांक (1) से (2) तक की सूचनाऐं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे । शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने बस्तर वन क्षेत्र में पाइन वृक्षों के विक्रय में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने पशु पालन विभाग द्वारा समय पर टीकाकरण नहीं किये जाने से पशुओं की मौत होने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री देवलाल दुग्गा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि - निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(3)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(4)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(5)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(6)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(7)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(8)	डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य
(9)	सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, मोतीलाल देवांगन, सदस्य
(10)	सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल, सदस्य
(11)	सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल, सदस्य
(12)	श्री निर्मल सिन्हा, सदस्य
(13)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(14)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(16)	डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य

(17) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य

(18) श्री विक्रम उसेंडी, सदस्य

(19) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य

(21) श्री चंद्रभान बारमते, सदस्य

(23) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य

(27) श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य

(29) सर्वश्री भूपेश बघेल, महेन्द्र कर्मा, सदस्य

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री ननकीराम कंवर

(2) डॉ.चेतन वर्मा

(3) श्री उदय मुदलियार

(4) श्री मोहम्मद अकबर

(5) श्री रामदयाल उइके

(6) डॉ.हरिदास भारद्वाज

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री महेन्द्र कर्मा, सभापति ने लोक लेखा समिति का सत्तरवां, इकहत्तरवां, बहत्तरवां, तिहत्तरवां, चौहत्तरवां, पचहत्तरवां, छिहत्तरवां, सतहत्तरवां, अठहत्तरवां, उन्यासीवां, अस्सीवां, इक्यासीवां, बयासीवां, तिरासीवां, चौरासीवां प्रतिवेदन,

(2) श्री प्रीतम साहू, सभापति ने आश्वासन समिति का अष्टम एवं नवम् प्रतिवेदन, एवं

(3) श्री त्रिलोचन पटेल, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का तृतीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री निर्मल सिन्हा

(2) श्री मोतीलाल देवांगन

(3) श्री सियाराम कौशिक

(4) श्री बोधराम कंवर

7. वक्तव्य

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2006-07 के मुख्य बजट से संबंधित पुस्तक क्र.19 के पृष्ठ क्र. 19, 130 में अंकित विधान सभा परिसर में ऑडिटोरियम तथा सेन्ट्रल हॉल में अतिरिक्त निर्माण के स्थान पर, सेन्ट्रल हॉल और विधान सभा परिसर में सामुदायिक भवन का निर्माण शब्द प्रतिस्थापित किये जाने संबंधी वक्तव्य दिया ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने वर्तमान सत्र में अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयकों की महत्ता, उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 तथा विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) को, सदन की अनुमति की प्रत्याशा में, शिथिल कर आज ही पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है -

(1) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 8 सन् 2008)

(2) छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक, 2008 (क्रमांक 9 सन् 2008)

(3) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008)

(सदन द्वारा सहमति दी गई)

(1) छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 6 सन् 2008) पुरःस्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2008

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 8 सन् 2008) पुरःस्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक, 2008

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक, 2008 (क्रमांक 9 सन् 2008) पुरःस्थापित किया ।

(4) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008) पुरःस्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया :-

	निर्धारित समय
(1) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2008	15 मिनट
(2) छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक, 2008	01 घंटा
(3) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008	15 मिनट

9. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्री देवजी पटेल, सभापति, सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता संबंधी जांच समिति ने प्रस्ताव किया कि - रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) श्री विजय अग्रवाल, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि - विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(3) श्री त्रिलोचन पटेल, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने प्रस्ताव किया कि - स्कूल शिक्षा विभाग में गैस चूल्हा क्रय तथा खाद्य विभाग में अनुबंध से अधिक धान खरीदी तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धान के उठाव में अनियमितता के संबंध में प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2008

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2008 (क्रमांक 3 सन् 2008) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री रविन्द्र चौबे,

(सभापति महोदय (श्री ननकीराम कंवर) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री देवजी पटेल, सत्यनारायण शर्मा, विजय अग्रवाल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, लच्छुराम कश्यप, नोवेल कुमार वर्मा,

11. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसद माननीय श्री मोतीलाल वोरा तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल अध्यक्षीय दीर्घा में विराजमान हैं । यह सदन उनका अभिवादन करता है ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2008

श्री उदय मुदलियार (जारी)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से माननीय सदस्यों के आग्रह पर विचार करते हुए विनियोग विधेयक पर चर्चा हेतु पूर्व नियत समय 5 बजे से 1 घंटे की समयवृद्धि करते हुए सायं 6 बजे तक चर्चा पूर्ण किए जाने की घोषणा की।)

श्री उदय मुदलियार ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2008 (क्रमांक 3 सन् 2008) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ तम्बाखू (निरसन) विधेयक, 2008

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ तम्बाखू (निरसन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री दयालदास बघेल ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ तम्बाखू (निरसन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 5 सन् 2008) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री लच्छुराम कश्यप ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 5 सन् 2008) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(4) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 6 सन् 2008) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, देवजी पटेल, नोवेल कुमार वर्मा, डॉ.हरिदास भारद्वाज ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 10 इस विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 6 सन् 2008) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ ।

(5) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 7 सन् 2008) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री विजयनाथ सिंह ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 7 सन् 2008) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ ।

(6) छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक, 2008

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक, 2008 (क्रमांक 9 सन् 2008) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री निर्मल सिन्हा ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 16 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक, 2008 (क्रमांक 9 सन् 2008) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(7) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2008

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 8 सन् 2008) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.बालमुकुंद देवांगन ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 8 सन् 2008) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(8) छत्तीसगढ़ विधान सभा वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ ।

13.मंत्री का वक्तव्य

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने सिंगल सुपर फास्फेट खाद की दर बढाये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया ।
डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की अनुमति से आज के प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

14.नियम 167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 167 के अंतर्गत विचाराधीन माननीय श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष, श्री कवासी लखमा, सदस्य एवं अन्य 21 सदस्यों द्वारा श्री के.आर.पिस्दा, तत्कालीन जिलाधीश, दंतेवाड़ा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 4 दिसंबर, 2007 को उन्होंने अग्राह्य कर दिया है ।

15.नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा उठाये जाने वाली नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा पर आगामी सत्र में विचार किया जायेगा ।

16. समितियों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए क्रमश: 9-9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि तीनों समितियों के लिए क्रमश: 9-9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाना हैं, अत: निम्नांकित सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं :-

लोक लेखा समिति

1. श्री त्रिलोचन पटेल
2. श्री सिद्धनाथ पैकरा
3. श्री विजय अग्रवाल
4. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम

5. श्री सत्यनारायण शर्मा
6. डॉ.शक्राजीत नायक
7. श्री उदय मुदलियार
8. श्री ताम्रध्वज साहू
9. श्री नोवेल कुमार वर्मा

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

प्राक्कलन समिति

1. श्री लच्छूराम कश्यप
2. श्री ओम प्रकाश राठिया
3. डॉ. बालमुकुन्द देवांगन
4. श्री विक्रम उसेंडी
5. श्री राजशरण भगत
6. श्रीमती पिंकी शिवराज शाह
7. श्री रविन्द्र चौबे
8. डॉ. हरिदास भारद्वाज
9. श्री गणेश शंकर बाजपेयी

श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री देवजी पटेल
2. श्री प्रीतम सिंह दीवान
3. श्री त्रिलोचन पटेल
4. श्री विजय नाथ सिंह
5. श्री निर्मल सिन्हा
6. श्री सेवकराम नेताम
7. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी
8. श्री रामदयाल उइके
9. श्री चुरावन मंगेशकर

श्री देवजी पटेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए 9 सदस्य ही निर्वाचित किए जाना है, अतः निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त किया जाता है :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

1. श्री अघन सिंह ठाकुर
2. डॉ. बालमुकुन्द देवांगन
3. श्री संजय ढीढी
4. श्री सिद्ध नाथ पैकरा
5. श्री कोमल जंघेल
6. डॉ. हरिदास भारद्वाज
7. श्री सियाराम कौशिक
8. श्री रामपुकार सिंह
9. सुश्री कामदा जोल्हे

श्री अघन सिंह ठाकुर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

17. नाम निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203(1), 208 (1), 213, 217(1), 224(2), 225(1), 231(2), 232(1), 233(1), 234-ग, 234-घ(2) एवं 234-ज(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नलिखित समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2008-2009 की अवधि में सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूं :-

कार्य मंत्रणा समिति

1. डॉ0 रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्यमंत्री

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि मंत्री
4. श्री अमर अगवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री
5. श्री रामविचार नेताम, गृहमंत्री
6. श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष
7. श्री रविन्द्र चौबे
8. श्री भूपेश बघेल

अध्यक्ष विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री ओम प्रकाश राठिया
2. श्री भरत साय
3. श्री प्रीतम साहू
4. सुश्री रोजलिन बेकमेन
5. श्री चन्द्रभान बारमते
6. श्री राजेन्द्र पामभोई
7. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी

श्री ओम प्रकाश राठिया, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

याचिका समिति

1. श्री बैदूराम कश्यप
2. श्रीमती पिंकी शिवराज शाह
3. श्री राजशरण भगत
4. श्री विजय अग्रवाल
5. श्री धनेन्द्र साहू
6. श्री चन्द्रभान बारमते
7. श्री मोतीलाल देवांगन

श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री चन्दुलाल साहू
2. श्री सिद्धनाथ पैकरा
3. श्री इंदर चोपड़ा
4. श्री निर्मल सिन्हा
5. श्री रामपुकार सिंह
6. श्री उदय मुदलियार
7. श्री गुलाब सिंह

श्री चन्दुलाल साहू, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री प्रीतम साहू
2. श्री राजशरण भगत
3. श्री अघन सिंह ठाकुर
4. श्री संजय ढीढी
5. डा. शक्राजीत नायक
6. श्री मोतीलाल देवांगन
7. डा. चेतन वर्मा

श्री प्रीतम साहू, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

विशेषाधिकार समिति

1. श्री विजय अग्रवाल
2. श्री देवजी भाई पटेल
3. डा. बालमुकुन्द देवांगन
4. श्री विनोद खाण्डेकर
5. श्री मोहम्मद अकबर

6. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
7. श्री धर्मजीत सिंह

श्री विजय अग्रवाल, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

नियम समिति

1. श्री कमलभान सिंह
2. श्री नोवेल कुमार वर्मा
3. श्री उदय मुदलियार
4. श्री राजकमल सिंघानिया
5. श्री योगेश्वर राज सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल उक्त समिति के पदेन सदस्य होंगे ।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री विनोद खाण्डेकर
2. श्री विक्रम उसेन्डी
3. श्री विजयनाथ सिंह
4. श्री इंदर चोपड़ा
5. सुश्री रोजलिन बैकमेन
6. श्री भूपेश बघेल
7. श्री नंदकुमार पटेल
8. डा. शिवकुमार डहरिया
9. श्री ओंकार शाह

श्री विनोद खाण्डेकर,सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

पुस्तकालय समिति

1. श्री प्रीतम सिंह दीवान
2. श्रीमती रेणुका सिंह

3. श्री बैदूराम कश्यप
4. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम
5. श्री ताम्रध्वज साहू
6. श्री चैतराम साहू
7. श्री मोहम्मद अकबर

श्री प्रीतम सिंह दीवान, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

पटल पर रखे गए पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री कमलभान सिंह
2. श्री भरत साय
3. श्री विजयनाथ सिंह
4. श्री कोमल जंघेल
5. श्री ओंकार शाह
6. डा. हरिदास भारद्वाज
7. श्री सियाराम कौशिक

श्री कमलभान सिंह, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री त्रिलोचन पटेल
2. श्री चन्दुलाल साहू
3. श्री अघन सिंह ठाकुर
4. श्री संजय ढीढी
5. श्री भूपेश बघेल
6. श्री मोहम्मद अकबर
7. श्री धर्मजीत सिंह

श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

आचरण समिति

1. श्री संजीव शाह
2. श्री सेवकराम नेताम
3. डा. सुभाऊ कश्यप
4. श्री बोधराम कंवर
5. श्री रामदयाल उइके
6. श्री अमरजीत भगत

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष उक्त समिति के पदेन सदस्य होंगे ।

18. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-च के उपनियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों को वर्ष 2008-2009 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम निर्दिष्ट तथा नियमावली के नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं -

1. श्रीमती रेणुका सिंह
2. श्रीमती पिंकी शिवराज शाह
3. श्री भरत साय
4. डा. बालमुकुन्द देवांगन
5. श्री सेवकराम नेताम
6. डा. (श्रीमती) रेणु जोगी
7. श्री बलराम सिंह ठाकुर
8. श्री गुलाब सिंह
9. सुश्री कामदा जोल्हे

श्रीमती पिंकी शिवराज शाह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

19. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-234 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2008-2009 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया :-

1 डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष विधान सभा
4. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्यमंत्री
5. श्री लच्छुराम कश्यप
6. श्री देवजी पटेल
7. श्री अघन सिंह ठाकुर
8. श्री ओमप्रकाश राठिया
9. श्री बैदूराम कश्यप
10. श्री चन्दुलाल साहू
11. श्री प्रीतम साहू
12. श्री विजय अग्रवाल
13. श्री विनोद खाण्डेकर
14. श्री प्रीतम सिंह दीवान
15. श्री कमलभान सिंह
16. श्री त्रिलोचन पटेल
17. श्रीमती पिंकी शिवराज शाह
18. श्री धर्मजीत सिह
19. श्री सत्यनारायण शर्मा

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे ।

20. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

छत्तीसगढ़ राज्य की द्वितीय विधान सभा के चौदहवें सत्र एवं इस द्वितीय विधान सभा के अंतिम बजट सत्र के समापन अवसर पर मैं आप सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं । यह सत्र 18 फरवरी से 2 अप्रैल, 2008 तक के लिए आहूत था परंतु सामयिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आप सभी की सहमति से सत्र के कार्यदिवसों में आंशिक संशोधन करते हुए यह सत्र आज समाप्त हो रहा है । 18 फरवरी को महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से आरंभ होकर 19 मार्च, 2008 तक चलने वाले इस सत्र में कुल 21 बैठकें सम्पन्न हुईं ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा ने संसदीय मूल्यों की स्थापना का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह निश्चित ही प्रेरणास्वरूप है और यह आप सबके कार्य व्यवहार एवं सहयोग से ही संभव हो सका है । किसी भी संसदीय सदन की प्रतिष्ठा उस सदन के माननीय सदस्यों के कार्य, विचार व व्यवहार पर निर्भर करती है । मुझे यह बतलाते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के पक्ष—प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति न केवल आस्था व्यक्त की है वरन् उसे अपने कार्य एवं व्यवहार में भी समाहित किया है । लोकतंत्र के प्रति सम्मान एवं सभा के प्रति मर्यादा, आदर एवं जनप्रतिनिधि के रूप में अपने कर्त्तव्यों के परिपालन में विधान सभा के सदस्यों की कार्यशैली तथा पक्ष एवं प्रतिपक्ष के मध्य आपस में समन्वय की अनूठी सकारात्मक सोच को छत्तीसगढ़ विधान सभा के जनप्रतिनिधियों ने इस सदन में स्थापित किया है निश्चित रूप से वह लोकतांत्रिक भावनाओं का आदर्श स्वरूप है ।

मैं इस सत्र में सम्पन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत करा रहा हूं । इस बजट सत्र में कुल 21 कार्य दिवसों में 98.43 घंटे चर्चा हुई । इन 21 दिवसों में 152 प्रश्न सभा में पूछे गये, और उनके उत्तर शासन द्वारा दिये गये । इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत 08 रहा । 1512 तारांकित एवं 804 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । इस प्रकार कुल 2316 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । इस सत्र में कुल 169 स्थगन की सूचना प्राप्त हुई जिनमें से 01 की ग्राह्यता पर चर्चा हुई । शून्यकाल की 59 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 27 सूचनाएं ग्राह्य और 32 सूचनाएं अग्राह्य रही । ध्यानाकर्षण की कुल 504 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 113 सूचनाएं ग्राह्य और 343 सूचनाएं अग्राह्य रही । वर्तमान सत्र में 163 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जिनमें 46 ग्राह्य व 117 अग्राह्य रही, 04 व्यपगत रही। 48 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये जिनमें 15 संकल्प ग्राह्य हुए, इनमें 03 संकल्प स्वीकृत हुए तथा 33 अग्राह्य हुए । इस सत्र में 10 शासकीय विधेयक की सूचनाएं प्राप्त हुई और 10 विधेयकों पर चर्चा हुई और सभी पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत अनुपूरक अनुमान पर 54 मिनट चर्चा हुई ।

प्रत्येक बजट सत्र में माननीय सदस्यों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, उसी क्रम में इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित हुआ । अंतर्राष्ट्रीय किडनी—डे के अवसर पर मेडिकल कॉलेज, रायपुर के मेडिसीन प्रभाग द्वारा किडनी से संबंधित विषय पर आप सब की जागरूकता के लिए शिक्षाप्रद कार्यशाला आयोजित की गई । पूर्व सत्रों की भांति इस सत्र के दौरान भी संसदीय ज्ञान को विस्तारित एवं व्यापक बनाने के लिए और विषय से जुड़ी जिज्ञासाओं को शांत करने के उद्देश्य से, आने वाली पीढ़ी में संसदीय संस्कारों के बीज रोपित करने के उद्देश्य से शैक्षणिक

संस्थाओं के 54 छात्र–छात्राओं एवं राज्य सेवा के अधिकारी, नागरिकगण कुल 174 ने विधान सभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया ।

छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा राष्ट्रकुल संसदीय संघ का सदस्य है । प्रत्येक मार्च का द्वितीय सोमवार राष्ट्रकुल दिवस के रूप में समस्त राष्ट्रकुल देशों में मनाया जाता है । इस अवसर पर राष्ट्रकुल संगठन का संदेश "पर्यावरण–हमारा भविष्य" का सभा में आसंदी से वाचन किया गया ।

मैं इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री शिवप्रताप सिंह को उच्च सदन का सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं । निश्चित तौर पर अब उच्च सदन में इस राज्य की जनता की भावनाओं को अधिक अभिव्यक्ति प्राप्त होगी ।

बजट सत्र के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की परंपरा रही है । इसके तहत इस बजट सत्र में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए । दिनांक 12 मार्च को देश की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुश्री सुधा चन्द्रन की शास्त्रीय नृत्य पर आधारित प्रस्तुति का सफल आयोजन हुआ वहीं दिनांक 13 मार्च को सुश्री सुष्मिता दास ने अपने सुगम संगीत के माध्यम से आप सभी का हृदय जीत लिया । इन सबसे हटकर विधायक क्लब के द्वारा दिनांक 18 मार्च को आयोजित विधायिका और कार्यपालिका की संयुक्त प्रस्तुति जिसमें आप माननीय सदस्यों ने न केवल अपनी सहभागिता दर्ज की अपितु अपनी संस्कृति और अपनी कला के प्रति समर्पण के भाव को भी स्थापित करने में आप सफल रहे । प्रतिभागी सभी माननीय सदस्यों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपकी सांस्कृतिक, साहित्यिक अभिरूचि के माध्यम से आप सबने हमें स्वस्थ्य, सुलभ मनोरंजन उपलब्ध कराया । इस आयोजन को गरिमामय ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिन कलाकारों का सहयोग रहा उन्हें भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं ।

इस बजट सत्र के संचालन में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष तथा सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी के समन्वित सहयोग से ही सदन का कुशल एवं निर्बाध संचालन संभव हो पाया। सत्र समापन के अवसर पर मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से, प्रमुखता से स्थान दे लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी एवं सजगता का जो परिचय दिया वह प्रशंसनीय है ।

सत्र के सफलतापूर्वक पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया । इस अवसर पर मैं सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा ।

मैं विधान सभा सचिवालय के सचिव एवं समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिनके समन्वित प्रयास से सभा की कार्यवाही संचालन में मुझे सहयोग प्राप्त होता है ।

यह परंपरा रही है सत्र के अंतिम कार्यदिवस में आगामी सत्र की संभावित तिथि की घोषणा की जाती है तदनुसार आगामी सत्र जो द्वितीय विधान सभा का 15वां सत्र होगा, जुलाई माह में संभावित है ।

आईये, हम सब छत्तीसगढ़ के नव–निर्माण के लिए, विकास के लिए कृत–संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद

जय भारत, जय छत्तीसगढ़

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री नोवेल कुमार वर्मा, कु. कामदा जोल्हे, सदस्य ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए ।

21. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई।)

रात्रि 8.07 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा